



**Date – 23 July 2022**

## वामपंथी उग्रवाद



- हाल ही में लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान गृह मंत्रालय ने भारत में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराए हैं।

### मुख्य डेटा तथ्य:

- 2009 और 2021 के बीच देश में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 77 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि छत्तीसगढ़ में माओवादी हिंसा में पिछले तीन वर्षों में मारे गए सुरक्षा बलों की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई है।
- इसी तरह परिणामी मौतें (नागरिक + सुरक्षा बल) 2010 में 1,005 के सर्वकालिक उच्च स्तर से 85% कम होकर 2021 में 147 हो गई हैं।
- वर्ष 2021 में देश में कुल सुरक्षाकर्मियों की मौत का 90 प्रतिशत (50 में से 45) छत्तीसगढ़ में हुआ था। झारखंड एकमात्र राज्य है जिसने वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ के अलावा सुरक्षाकर्मियों की मौत (5) दर्ज की।

- हिंसा के भौगोलिक प्रसार में कमी आई है क्योंकि वर्ष 2010 में 96 जिलों की तुलना में 2021 में केवल 46 जिलों ने वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की सूचना दी थी।
- इससे सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या 2018 में 126 से घटकर 90 और 2021 में 70 हो गई है।
- इसी तरह, 'सबसे अधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों' के रूप में वर्गीकृत जिलों की संख्या, जो वामपंथी उग्रवाद की हिंसा में लगभग 90 प्रतिशत का योगदान करते हैं, 2018 में 35 से घटकर 30 और 2021 में 25 हो गए।

### वामपंथी उग्रवाद:

- वामपंथी चरमपंथी संगठन ऐसे समूह हैं जो हिंसक क्रांति के माध्यम से बदलाव लाना चाहते हैं। वे लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ हैं और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नष्ट करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करते हैं।
- ये समूह देश के सबसे कम विकसित क्षेत्रों में विकास प्रक्रियाओं को अवरुद्ध करते हैं और लोगों को वर्तमान घटनाओं से अनभिज्ञ रखकर उन्हें गुमराह करने का प्रयास करते हैं।

### कारण:

#### आदिवासी असंतोष:

- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 उन आदिवासियों को भी, जो अपनी आजीविका के लिए वन उपज पर निर्भर हैं, पेड़ की एक शाखा काटने से प्रतिबंधित करता है।
- विकास परियोजनाओं, खनन कार्यों और अन्य कारणों से नक्सल प्रभावित राज्यों में जनजातीय आबादी का भारी विस्थापन।
- माओवादियों का आसान निशाना
- ऐसे लोग जिनके पास आजीविका का कोई स्रोत नहीं है, उन्हें माओवादी, नक्सली गतिविधियों में शामिल करते हैं।
- माओवादी ऐसे लोगों को हथियार, गोला-बारूद और पैसा मुहैया कराते हैं।
- देश की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में अंतराल।
- सरकार अपनी सफलता का आंकलन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हुए विकास के बजाय हिंसक हमलों की संख्या के आधार पर कर रही है।
- नक्सलियों से लड़ने के लिए मजबूत तकनीकी खुफिया जानकारी का अभाव।
- ढांचागत समस्याएं उदाहरण के लिए, कुछ गांव अभी तक किसी भी संचार नेटवर्क से ठीक से नहीं जुड़े हैं।
- प्रशासन की ओर से कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं: यह देखा जाता है कि पुलिस द्वारा किसी क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद भी, प्रशासन उस क्षेत्र के लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है।
- नक्सलवाद को एक सामाजिक मुद्दे के रूप में या एक सुरक्षा खतरे के रूप में निपटने पर भ्रम।
- राज्य सरकारें नक्सलवाद को केंद्र सरकार का मुद्दा मान रही हैं और इसलिए इससे लड़ने के लिए कोई पहल नहीं कर रही हैं।

## वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए सरकार की पहल:

- **समाधान सिद्धांत:** यह वामपंथी उग्रवाद की समस्या का एकमात्र समाधान है। इसमें सरकार की शॉर्ट टर्म पॉलिसी से लेकर लॉन्ग टर्म पॉलिसी तक विभिन्न स्तरों पर तैयार की गई पूरी रणनीति शामिल है।

## समाधान का अर्थ है-

- **S-** स्मार्ट लीडरशिप।
- **A-** आक्रामक रणनीति।
- **M-** प्रेरणा और प्रशिक्षण।
- **A-** एक्शनेबल इंटेलिजेंस।
- **D-** डैशबोर्ड आधारित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) और प्रमुख परिणाम क्षेत्र (केआरए)
- **H-** हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी।
- **A-** प्रत्येक थिएटर/नाटक के लिए कार्य योजना।
- **N-** एन-वित्तपोषण तक पहुंच नहीं।
- वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण के रूप में वर्ष 2015 में राष्ट्रीय रणनीति तैयार की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ स्थानीय आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना था।
- वामपंथी उग्रवाद संगठनों के खतरे का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा खुफिया जानकारी साझा करने और एक अलग 66वीं भारतीय रिजर्व बटालियन (IRB) का गठन किया गया था।

## 2015 में राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना:

- इसमें सुरक्षा उपायों, विकास पहलों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण शामिल है।
- गृह मंत्रालय (एमएचए) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) बटालियनों, हेलीकॉप्टरों और यूएवी की तैनाती और भारतीय रिजर्व बटालियनों (आईआरबी)/विशेष भारत रिजर्व बटालियनों (एसआईआरबी) की मंजूरी के माध्यम से राज्य सरकारों को व्यापक सहायता प्रदान कर रहा है।
- पुलिस बल के आधुनिकीकरण (एमपीएफ), सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) और विशेष आधारभूत संरचना योजना (एसआईएस) के तहत राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है।

## 2015 में राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना:

- इसमें सुरक्षा उपायों, विकास पहलों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण शामिल है।
- गृह मंत्रालय (एमएचए) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) बटालियनों, हेलीकॉप्टरों और यूएवी की तैनाती और भारतीय रिजर्व बटालियनों (आईआरबी)/विशेष भारत रिजर्व बटालियनों (एसआईआरबी) की मंजूरी के माध्यम से राज्य सरकारों को व्यापक सहायता प्रदान कर रहा है।

- पुलिस बल के आधुनिकीकरण (एमपीएफ), सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) और विशेष आधारभूत संरचना योजना (एसआईएस) के तहत राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है।
- सड़कों के निर्माण, मोबाइल टावरों की स्थापना, कौशल विकास, बैंकों और डाकघरों के नेटवर्क में सुधार, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के लिए कई विकास पहल लागू की गई हैं।
- विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना के तहत अधिकांश वामपंथी उग्रवाद प्रभावित (एलडब्ल्यूई) जिलों को विकास निधि भी प्रदान की जाती है।
- **ग्रेहाउंड्स:** इसकी स्थापना वर्ष 1989 में एक विशिष्ट नक्सल विरोधी बल के रूप में की गई थी।
- **ऑपरेशन ग्रीन हंट:** इसे वर्ष 2009-10 में शुरू किया गया था और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई थी।

स्वदीप कुमार

## लैंडलॉर्ड मॉडल के साथ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पहला प्रमुख बंदरगाह



- हाल ही में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का पहला बड़ा बंदरगाह बन गया है, जिसमें 100% लैंडलॉर्ड मॉडल है, जिसमें सभी बर्थ पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर काम कर रहे हैं।

### जमींदार बंदरगाह:

- इस मॉडल में सार्वजनिक रूप से शासित बंदरगाह प्राधिकरण एक नियामक निकाय और एक जमींदार के रूप में कार्य करता है, जबकि निजी कंपनियां बंदरगाह का संचालन करती हैं जिसमें मुख्य रूप से कार्गो-हैंडलिंग गतिविधियां शामिल होती हैं।

- इस मॉडल में, बंदरगाह प्राधिकरण बंदरगाह का मालिक है, जबकि बुनियादी ढांचे को निजी फर्मों को पट्टे पर दिया जाता है, जो स्वयं बंदरगाह की अधिरचना प्रदान करते हैं और बनाए रखते हैं और कार्गो को संभालने के लिए अपने स्वयं के संसाधन होते हैं।
- बदले में, जमींदार बंदरगाह को निजी इकाई से राजस्व का एक हिस्सा प्राप्त होता रहता है।

### **सर्विस पोर्ट मॉडल:**

- सर्विस पोर्ट मॉडल में, पोर्ट अथॉरिटी पोर्ट गतिविधियों का प्रशासन और संचालन करती है।
- बंदरगाह संचालन में शिपिंग सेवाएं, गोदाम सुविधाएं, क्रेन और कुशल कामगार/मजदूर उपलब्ध कराना शामिल है। बुनियादी ढांचे के निर्माण, अधिरचना और कर्मचारियों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी बंदरगाह प्राधिकरण की है।
- भले ही बंदरगाह जनहित में काम करता हो, बंदरगाह का पूरा स्वामित्व राज्य या सरकार के पास रहता है।
- सर्विस पोर्ट मॉडल ज्यादातर मामलों में अक्षमता के कारण घाटे में चल रहे हैं। चूंकि बंदरगाह राज्य का है और बंदरगाह प्राधिकरण के पास इसका संचालन नियंत्रण है, इसलिए श्रमिक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले जाते हैं।

### **जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (JNP):**

- यह नवी मुंबई में स्थित है, जो भारत में प्रमुख कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है, जिसमें भारत के प्रमुख बंदरगाहों में कुल कंटेनरीकृत कार्गो वॉल्यूम का लगभग 50% है।
- इसे वर्ष 1989 में चालू किया गया था और इसके संचालन के तीन दशकों में जेएनपी बल्क कार्गो टर्मिनल देश का प्रमुख कंटेनर बंदरगाह बन गया है।

### **संक्षिप्त अवलोकन:**

- यह देश के अग्रणी कंटेनर बंदरगाहों में से एक है और शीर्ष 100 वैश्विक बंदरगाहों में 26वें स्थान पर है (लॉयड्स लिस्ट टॉप 100 पोर्ट्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार)।
- जेएनपी अपनी अत्याधुनिक सुविधाओं, उपयोगकर्ता के अनुकूल वातावरण के साथ-साथ रेल और सड़क मार्ग द्वारा भीतरी इलाकों के लिए उत्कृष्ट कनेक्टिविटी के साथ सभी अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है।
- यह वर्तमान में 9000 ट्वेंटी-फुट समकक्ष इकाइयों TEU क्षमता को संभाल रहा है और उन्नयन के साथ यह 12200 TEU क्षमता वाले जहाजों को भी संभाल सकता है।

### **पीपीपी मॉडल:**

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी में एक सरकारी एजेंसी और एक निजी क्षेत्र की कंपनी के बीच सहयोग शामिल होता है जिसका उपयोग सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क, पार्क और कन्वेंशन सेंटर जैसी परियोजनाओं के वित्तपोषण, निर्माण और संचालन के लिए किया जा सकता है।

### **भारतीय परिप्रेक्ष्य:**

- पत्तन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए पीपीपी को एक प्रभावी साधन माना जाता है। पीपीपी के तहत अब तक 55,000 करोड़ रुपये की 86 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।



- पीपीपी आधार पर प्रमुख परियोजनाओं में डॉकयार्ड, मशीनीकरण, तेल जेटी का विकास, कंटेनर जेटी का विकास, कंटेनर टर्मिनल के ओ-एंडएम का विकास, अंतर्राष्ट्रीय कूज टर्मिनल के ओ-एंडएम का विकास, पीपीपी सिस्टम का गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों का व्यावसायीकरण शामिल है। पर्यटन परियोजनाओं का विकास, जैसे बंदरगाहों, द्वीपों का विकास, ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके।
- कार्गो की मात्रा में भी वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसके कारण यह वृद्धि 2020 में 7 प्रतिशत से बढ़कर 2020 तक दोगुनी हो जाएगी। पीपीपी या अन्य ऑपरेटर्स द्वारा प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो अनलोडिंग का प्रतिशत 2030 तक 85 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है।

स्वदीप कुमार

